विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-09/17

श्री गुलाम कादर जकरया, — आवेदक
द्वारा– गुलाम मुर्तुजा गुलाम कादर,
लोहार मंडी, पानदरी मस्जिद के पास,
जिला–बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 09.06.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0362117 श्री गुलाम कादर जकरया बुरहानपुर विरूद्ध कार्यपालक यंत्री (शहर) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर में पारित आदेश दिनांक 14.04.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–09/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 08.06.2017 को सुनवाई में आवेदक के अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी एवं अनावेदक की ओर से श्री पुष्पेन्द्र कुमार राय, कनिष्ठ यंत्री, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

04 प्रकरण में सुनवाई के प्रारंभ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक का एक विद्युत कनेक्शन क्रमांक 061/06/5204 था। उक्त कनेक्शन को जून 2012 में स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था तथा उनके द्वारा तब से विद्युत का उपयोग नहीं किया गया है।

05 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक की ओर से दिनांक 24.1.2017 को सूचना पत्र आवेदक के परिसर में चश्पा कर रूप्ये 12944/– जमा कराने का नोटिस दिया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा विद्युत का उपयोग जून 2012 से नहीं करने के पश्चात दिनांक 24.1.2017 को लगभग साढ़े चार साल बाद बकाया राशि की मांग की जा रही है जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार कालवाधित है इसलिए रिकवरी नहीं की जा सकती।

06 अनावेदक द्वारा तर्क के दौरान बताया गया कि आवेदक का कनेक्शन फरवरी 2013 में स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया तथा आवेदक द्वारा जून 2012 तक विद्युत का उपयोग किया

गया। अतः जून 2012 तक दर्ज अंतिम मीटर रीडिंग के आधार पर रू. 15643/– का देयक बनाया गया तथा आवेदक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि रूपये 3558/– तथा अन्य मद में जमा रू. 528/– का समायोजन कर अंतिम देयक 11557/– जारी किया गया।

07 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि जून 2012 के पश्चात जून 2013 तक की गई बिलिंग को निरस्त कर दिया गया है। (ओई–1) आवेदक को दिये गये उपरोक्त देयक की वसूली की राशि कनेक्शन विच्छेदित करने के पश्चात नहीं निकाली गई है उक्त राशि कनेक्शन विच्छेदित होने के पूर्व की अवधि की बकाया राशि थी जिसका कि भुगतान हेतु आवेदक को नोटिस जारी किया गया है। अतः विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) कालवाधित नहीं है एवं उपभोक्ता फोरम द्वारा भी तदनुसार अपने निर्णय दिनांक 10.4.2017 में यह आदेशित किया गया है।

08 उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं तर्कों कों सुनने तथा निर्णय लेने से पूर्व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

56(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूल किये जाने योग्य नहींहोगी जब तक ऐसी रकमसप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो, और लायसेन्सी विद्युत की सप्लाई विच्छेद नहीं करेगा/ नहीं काटेगा।

09 तदनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि आवेदक से मांग की जा रही राशि रूपये 11557/– उनके विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित होने के पूर्व के विद्युत देयकों की राशि है जिसका कि उनके द्वारा समय–समय पर भुगतान नहीं किया गया तथा उक्त राशि उनके विद्युत देयकों में लगातार परिलक्षित हुई। चूंकि उक्त राशि उपभोक्ता के विद्युत देयक में लगातार बकाया राशि के रूप में दर्शाई जाती रही, अतः इस राशि को कालवाधित हो चुकी है कहना उचित नहीं होगा तथा उक्त राशि के भुगतान की मांग करना उचित है ।

10 अतः फोरम का आदेश यथावत रखते हुए अपील अभ्यावेदन खारिज किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्तानुसार निराकृत कर नस्तीबद्ध किया जाता है। फोरम के अभिलेख वापिस हों।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल